उत्तराखण्ड शासन

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड

संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड, एम0डी0डी0ए0 कालोनी, चन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून द्वारा अनुसूचित जाति के एकल कलाकारों को पारम्परिक वाद्ययंत्र (ढोल–दमाँऊ, मसकबीन, रणसिंगा, तुरही, नगाड़ा, ढाल–तलवार आदि) निःशुल्क प्रदान किये जाने हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों के पारम्परिक/लोक कलाकारों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर निम्न शर्तों के अधीन दिनांक 20 फरवरी, 2023 तक आमंत्रित किये जाते हैं।

1– किसी कलाकार को आजीवन वाद्ययंत्र एक बार ही दिया जायेगा।

2– आवेदक की मासिक आय 2000/–से अधिक नहीं होनी चाहिए, आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से लिया जाना आवश्यक होगा।

3– एक परिवार में एक से अधिक कलाकार को वाद्ययंत्र नहीं दिया जायेगा।

4– परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) के कलाकार को वाद्ययंत्र दिये जाने हेतु वरीयता दी जायेगी।

5– आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

6– यदि किसी आवेदक को संस्कृति विभाग की किसी अन्य योजना में कोई आर्थिक सहायता अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त हुये हो, तो उसे यह सुविधा/लाभ अनुमन्य नहीं होगा, सम्बन्धित कलाकार को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उसे विभाग की अन्य योजना से कोई अनुदान अथवा वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा कलाकारों को वाद्ययंत्र दिये जाने की संस्तुति प्राप्त होने के पश्चात सचिव, संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत की जायेगी। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

नोट– निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र सम्बन्धित जिलाधिकारी के कार्यालयों में जमा किये जायें। निर्धारित तिथि पश्चात एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उत्तराखण्ड़

अनुसूचित जाति के परम्परागत/पेशेवर कलाकारों को निःशुल्क वाद्ययंत्र दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

1–आवेदक कलाकार का नाम .....(मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)

2–पिता/पति का नाम .....

3–आवेदक की (दि0 01–02–2023) को आयु .....(शैक्षिक प्रमाण–पत्र अथवा परिवार रजिस्ट्रर की छायाप्रति संलग्न करें)

4–जाति.....(सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक है)

5–आवेदक की मासिक आय (अंकों में) ₹ .....(शब्दों में ₹ .....) (आय सम्बन्धी प्रमाण–पत्र तहसीलदार स्तर से निर्गत हो, संलग्न करना आवश्यक है)

6–बी0पी0एल0 कार्ड धारक खण्ड विकास अधिकारी से बी0पी0एल0 कार्ड की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

7–आवेदक का पूरा पता–ग्राम..... पो0ओ0..... विकासखण्ड..... जनपद.....

.8–परम्परागत वाद्ययंत्र का नाम जिसमें आवेदक निपुण हो.....

9–यदि आवेदक परम्परागत वादक परिवार (बाजगीय) से तालुक रखते हैं (तो विवरण दें).....

10–वाद्ययंत्र का नाम जिसे निःशुल्क प्राप्त करने हेतु आवेदन किया हो.....

11–मोबाईल नं0/दूरभाष सं0.....

शपथ पत्र

मैं.....शपथ पूर्वक घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे संस्कृति विभाग, उत्तराखण्ड अथवा अन्य शासकीय विभाग की किसी अन्य योजना से कोई आर्थिक सहायता/अनुदान एवं पूर्व में वाद्ययंत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम.....